संख्या- 13/2015 / पी-180/अड़तीस-9-2015-87(पीएमजीएसवाई)/2008

प्रेषक

अरूण सिंघल
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण
लखनऊ ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक- 16 अप्रैल, 2015**

विषय-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों के अनुरक्षण के सम्बन्ध में मूल शासनादेश संख्या-1143/अड़तीस-1-2008-87(पीएमजीएसवाई)/2008, दिनांक-27.11.2008 के प्राविधानों को और अधिक व्यवहारिक 0 iभावी बनाने के लिए प्रस्तर-6 व 9 में संशोधन।

महोदय,

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देशों के प्रस्तर-17.2 में सड़कों के निर्माण के पश्चात् 5 वर्ष तक उनका अनुरक्षण निर्माण कार्य ठेकेदार द्वारा ही किया जाना है, जिसकी व्यवस्था अनुबन्ध में ही की जाती है, तथा अनुरक्षण मद में होने वाले व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

2- उल्लेखनीय है कि विधान सभा प्राक्कलन समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 में दिनांक 20 जून, 2008 तथा 23 अक्टूबर, 2008 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा हेतु विभागीय साक्ष्य में यह तथ्य शासन के संज्ञान में लाया गया कि योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों की स्थिति बहुत खराब हो गयी है, जिसका कारण सड़कों का अनुरक्षण न होना रहा है। उक्त समिति में उपस्थित समिति के सदस्यों (मा0 सदस्य विधान सभा गण) द्वारा भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़कों के असंतोषजनक अनुरक्षण का बिन्दु प्रमुखता l उठाया गया है। दिनांक-23 अक्टूबर, 2008 को आयोजित प्राक्कलन समिति में मा0 सभापति तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा असंतोषजनक अनुरक्षण पर अत्यन्त रोष व्यक्त किया गया।

3- उक्त् के अतिरिक्त विभागीय समीक्षा बैठकों के दौरान यह भी संज्ञान में आया है कि अनेक प्रकरणों में बार-बार नोटिस दिये जाने के बाद भी ठेकेदारों द्वारा निर्मित सड़कों के अनुरक्षण में रूचि नहीं ली जा रही है। उनकी उक्त उदासीनता तथा अरूचि के कारण अनेक ठेकेदारों की जमानत की धनराशि भी जब्त की गयी है परन्तु अनुरक्षण कार्य कराये जाने की वैकल्पिक प्रक्रिया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देशों में निर्धारित न होने के कारण

http://shasanadesh.up.nic.in

उसका भी उपयोग नहीं किया जा पा रहा है। परिणामत: अनुरक्षण अभाव में जहॉ निर्मित सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं, वहीं राज्य के आय-व्ययक में उपलब्ध धनराशि का भी व्यय नहीं किया जा पा रहा है। उक्त के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में ही उन समस्त मार्गों के अनुरक्षण हेतु वांछित धनराशि सम्बन्धित पी0आई0यूज0 को निर्गत कर दी जायेगी, जिन पर निर्माण कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण को उपलब्ध करा दिये गये हैं एवं इस हेतु पी0आई0यू0 द्वारा अनुरक्षण के सी0सी0एल0 की मांग की प्रतीक्षा नहीं की जायेगी।

4- वर्तमान में स्टैण्डर्ड बिड डाक्यूमेन्ट (एस0बी0डी0) में योजनान्तर्गत निर्मित सम्पर्क मार्गों के अनुरक्षण हेतु निम्न व्यवस्था निर्धारित की गयी है:-

(1)- स्टैण्डर्ड बिड डाक्यूमेन्ट (एस0बी0डी0) के प्रस्तर-32.1.1 के अन्तर्गत निर्मित सम्पर्क मार्ग पर किसी प्रकार की क्षति पाये जाने पर उसके निराकरण हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा ठेकेदार को उक्त क्षति को निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत ठीक कराने हेतु नोटिस दिया जायेगा।

(2)- सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा नोटिस में दी गयी अवधि के अन्दर निर्दिष्ट मार्ग पर अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य पूर्ण कराया जायेगा।

(3)- स्टैण्डर्ड बिड डाक्यूमेन्ट (एसबीडी) के प्रस्तर-32.2.1 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार ठेकेदार द्वारा पॉच वर्ष तक सम्पर्क मार्ग के अनुरक्षण का कार्य किया जायेगा तथा मार्ग को निर्धारित मानकों (जैसा कि प्रस्तर-1.1 में वर्णित् है) के अनुरूप रक्खा जायेगा।

(4)- यदि नोटिस प्राप्त होने के बाद भी ठेकेदार द्वारा क्षति का सुधार संतोषजनक ढंग से नहीं किया जाता है, तो सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा क्षति का आकलन करते हुये क्षति का सुधार कराया जायेगा तथा इसमें हुए व्यय को ठेकेदार से वसूला जायेगा। (एसबीडी प्रस्तर-33.1)

5- स्टैण्डर्ड बिड डाक्यूमेन्ट (एसबीडी) के प्रस्तर-32.1.2 में वर्णित उक्त प्रक्रिया के अनुपालन में क्षेत्रीय स्तर पर अनेक व्यावहारिक समस्यायें अनुभव की गयी है। जहॉ एक ओर ठेकेदारों को नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी सुधारात्मक कार्य नहीं किया जा रहा है वहीं दूसरी ओर किसी अन्य संस्था से कार्य करा सकने के विकल्प के आभाव में अनुरक्षण कार्य बाधित हो रहे हैं।

6- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़कों का अनुरक्षण निम्नलिखित निर्देशानुसार कराया जाय:-

(1)- निर्मित सड़कों के अनुरक्षण हेतु ठेकेदार को नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी यदि ठेकेदार द्वारा अनुरक्षण का कार्य नहीं किया जाता है, तो सम्बन्धित सक्षम अधिकारी द्वारा

http://shasanadesh.up.nic.in

अनुबन्धकर्ता की धरोहर बैंक गारण्टी/एफडीआर कैश करा ली जायेगी। इसके लिए कारण दर्शाते हुए सक्षम स्तर से एक औचित्य पूर्ण आदेश जारी किया जायेगा।

(2)- उक्त प्रकार से जब्त की गयी धनराशि को उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के खाते में जमा किया जायेगा।

(3)- मूल अनुबन्धकर्ता का अनुबन्ध निरस्त करने के पश्चात् पी0आई0यू0 द्वारा मार्ग के अनुरक्षण हेतु वांछित धनराशि का आंकलन किया जायेगा। उक्त आंकलन दो भागों में किया जायेगा।

<u>प्रथम भाग- (इनीशियल रीहैबिलिटेशन)-</u> क्षतिग्रस्त मार्ग को पूर्व स्थिति में लाने हेतु आवश्यक मदों को चिन्हित करते हुये वांछित धनराशि का आंकलन किया जायेगा। मदों का विस्तृत आगणन (लम्बाईXचौड़ाईX गहराई/ऊंचाई)= मात्राXदर=लागत) के सूत्र पर किया जायेगा। उक्त् के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इनीशियल रीहैबिलिटेशन हेतु आंकलित धनराशि शासनादेश दिनांक-18.08.2005 (यथासमय संशोधनीय) में अनुमन्य धनराशि में अनुरक्षण मद में भुगतान की गयी धनराशि (यदि भुगतान किया गया है) समायोजित करते हुये अवशेष धनराशि से अधिक न हो। उदाहरणस्वरूप यदि निर्माणोपरान्त दो वर्ष का समय व्यतीत हो गया है एवं ठेकेदार द्वारा अनुरक्षण कार्य न करने के कारण मार्ग की क्षति हुई है, तो इन दो वर्षों हेतु शासनादेश दिनांक-18.08.2005 (यथा समय संशोधनीय) में अनुमन्य सीमा तक ही धनराशि देय होगी।

यदि विशेष परिस्थितियों में इनीशियल रीहैबिलिटेशन हेतु आंकलित धनराशि संदर्भित शासनादेश दिनांक-18.08.2005 (यथा समय संशोधनीय) में उक्त अवधि हेतु अनुमन्य धनराशि से अधिक हो, तो अभिकरण द्वारा आधिक्य स्वीकृत करने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी:-

(1)- इनीशियल रीहैबिलिटेशन की धनराशि सम्बन्धित ठेकेदार की जब्त की गयी जमानत धनराशि तथा अनुबन्ध निरस्त किये जाने की तिथि से विगत वर्षों में अनुरक्षण हेतु अनुमन्य अवशेष धनराशि के योग की सीमा के अन्तर्गत होने पर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था के मुख्य अभियन्ता द्वारा मूल ठेकेदार को पूर्व सूचना देते हुये निविदायें आमंत्रित कर कार्य पूर्ण कराया जायेगा।

(2)- इनीशियल रीहैबिलिटेशन के लिये आगणित धनराशि यदि दोषी ठेकेदार की जब्त की गयी धनराशि एवं बीती अवधि हेतु अनुरक्षण कार्य के लिए अनुमन्य अवशेष धनराशि के योग से अधिक है, तो अभिकरण के स्तर से ऐसे प्रकरणों को अनुमोदित करते हुये अवशेष

http://shasanadesh.up.nic.in

धनराशि की व्यवस्था प्रदेश स्तर पर अनुरक्षण कार्य में रूचि न लेने के फलस्वरूप अन्य पैकेजों की जब्त की गयी धनराशि से सुनिश्चित की जायेगी।

(3)- यदि आगणन की अतिरिक्त धनराशि सम्बन्धित ठेकेदार की जब्त की गयी जमानत धनराशि, कार्य की बीती हुयी अनुरक्षण अवधि की अवशेष अनुमन्य धनराशि तथा अन्य पैकेजों की जब्त की गयी धनराशि से अधिक है, तो राज्य की निधियों से आवश्यक अवशेष धनराशि उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव अभिकरण द्वारा शासन को प्रेषित किया जायेगा और शासन के निर्णयानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(4)- बिन्दु संख्या-2 व 3 पर वर्णित परिस्थिति उत्पन्न होने पर सम्बन्धित मार्गो के निर्माणाधीन अवस्था में एन0क्यू0एम0 तथा एस0क्यू0एम0 की निरीक्षण टिप्पणियों का राज्य गुणवत्ता समन्वयक द्वारा परीक्षण किया जाय तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि धनराशि की अधिकता के कारण दोष पूर्ण निर्माण नहीं है।

बिन्दु संख्या-2 व 3 में वर्णित परिस्थितियॉ उत्पन्न होने की दशा में सम्बन्धित पी0आई0यू0 द्वारा किये गये आंकलन पर अधीक्षण अभियन्ता की संस्तुति के आधार पर अभिकरण को निम्न प्रारूप पर सूचना उपलब्ध करायी जायेगी:-

क्र0 सं0	पैकेज संख्या	अनुबन्ध संख्या	जब्त की गयी धरोहर धनराशि (रू0 लाख)	कार्य समाप्ति के बाद बीत अवधि (दिवस)	बीती अवधि अनुरक्षण निर्धारित करने वाले शासनादेश (यथा समय संशोधनीय) द्वारा अनुरक्षण मद में अनुमन्य धनराशि	अनुरक्षण मद में किया गया भुगतान (यदि भुगतान किया गया हो)	बीती अवधि में अनुमन्य अवशेष धनराशि (6-7)	पी0आई0यू0 द्वारा किये गये आंकलन के अनुरूप इनीशियल रीहैबिलिटेशन मद में वांछित धनराशि (रू0 लाख में)	कालम संख्या (4+8) एवं 9 में अन्तर (4+8)-9	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

<u>द्वितीय भाग- नियमित अनुरक्षण</u>- सम्पर्क मार्गों हेतु निर्माणोपरान्त पॉच वर्ष की अनुरक्षण अवधि के लिये शासनादेश दिनांक-18.08.2005 (यथासमय संशोधनीय) में अनुमन्य धनराशि के आधार पर अनुरक्षण कार्यों हेतु अवशेष अवधि हेतु कुल अनुमन्य धनराशि को अंकित किया जायेगा। इस हेतु पृथक से बिल ऑफ क्वालिटी नहीं बनायी जायेगी। मार्ग के परफारमेन्स इंडीकेटर अनुरक्षण कार्यों हेतु तैयार किये गये स्टैण्डर्ड बिड डाक्यूमेन्ट में उल्लिखित है, जिसके आधार पर पी0आई0यू0 द्वारा भुगतान किया जायेगा।

7- सम्बन्धित पी0आई0यू0 द्वारा स्थानीय स्तर पर निविदायें आमंत्रित की जायेगी, जिस हेतु पी0आई0यू0 द्वारा अनुरक्षण हेतु यू0पी0आर0आर0डी0ए0 द्वारा अनुमोदित स्टैण्डर्ड बिड डाक्यूमेन्ट का प्रयोग किया जायेगा। किसी एक पैकेज में सम्मिलित समस्त मार्गों के अनुरक्षण

http://shasanadesh.up.nic.in

हेतु एक ही निविदा आमंत्रित की जायेगी अर्थात, मूल पैकेज में निर्मित समस्त मार्गों के अनुरक्षण हेतु एक ही पैकेज गठित किया जायेगा तथा मूल पैकेज की स्पिलिटिंग मान्य नहीं होगी। अनुरक्षण हेतु इस प्रकार गठित पैकेज का नामकरण मूल पैकेज के नाम के आगे एम लगाकर किया जायेगा। उदाहरण तौर पर यदि मूल पैकेज का नम्बर यू0पी0-9999 है, तो उक्त पैकेज में सम्मिलित सम्पर्क मार्गों के अनुरक्षण हेतु आमंत्रित की गयी निविदायें यू0पी0-9999M के नाम से आमंत्रित की जायेंगी। इस प्रकार आमंत्रित निविदाओं पर नियमानुसार अनुबंध गठित कर अभिकरण को सूचित किया जायेगा।

8- उपरोक्तानुसार अनुबंध गठित होने की सूचना प्राप्त होने पर अभिकरण द्वारा अनुरक्षण मद में नवसृजित पैकेज पर पीएमजीएसवाई की प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार सी0सी0एल0 निर्गत की जायेगी।

9- अनुरक्षण मद में आंकलित धनराशि जब्त की गयी धनराशि से अधिक होने की दशा में इस आधिक्य की सूचना कार्यदायी संस्था द्वारा जनपदवार संकलित कर अभिकरण को उपलब्ध करायी जायेगी। अभिकरण स्तर पर समस्त जनपदों में जब्त की गयी धनराशि का संकलन किया जायेगा, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सम्पर्क मार्गों के अनुरक्षण हेतु कितनी अतिरिक्त धनराशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाना है। मार्ग की क्षतिग्रस्तता को ठीक करने एवं मार्ग के निर्माण में व्यय की गयी धनराशि के सदुपयोग हेतु तात्कालिक व्यवस्था के रूप में राज्य सरकार द्वारा शासकीय निधियों से उक्त अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था सुनश्चित की जायेगी, परन्तु अन्ततः इस प्रकार उपलब्ध करायी गयी अतिरिक्त धनराशि दोषी ठेकेदार/ठेकेदारों से भू-राजस्व की भांति वसूल की जायेगी और उसे राजकोष में जमा किया जायेगा।

10- अनुरक्षण मद में आमंत्रित निविदाओं पर कोई टेण्डर प्रीमियम देय नहीं होगा।

11- अनुरक्षण मद में स्वीकृत, जब्त की गयी धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का लेखा-जोखा वित्त नियंत्रक, यू0पी0आर0आर0डी0 द्वारा किया जाय।

उक्त आदेशों का समस्त स्तरों पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय

अरूण सिंघल
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-13/2015/पी-180(1)/अड़तीस-9-2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

2- प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 शासन।

3- प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।

4- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 ।

5- मुख्य अभियन्ता (पीएमजीएसवाई), लोक निर्माण विभाग व ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।

6- समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।

7- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

8- समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उ0प्र0।

9- समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता (पीएमजीएसवाई), लोक निर्माण विभाग व ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।

10- समस्त अधिशासी अभियन्ता, (पी0आई0यू0), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उ0प्र0।

11- ग्राम्य विकास अनुभाग-3/गार्डबुक।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in